



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



18 माघ, 1945 (श०)

संख्या - 5 राँची, बुधवार

7 फरवरी, 2024 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 46-60 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 —भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 —विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक- ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

11 अक्टूबर, 2023

संख्या-4/नि०सं०-12-112/2015 का० 5692--स्व० नागेन्द्र तिवारी, झा०प्र०से०, भूतपूर्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालोजोरी (देवघर) द्वारा चिकित्सा हेतु उपभोग किये गये अवकाश अवधि दिनांक 04.06.2020 से उनकी मृत्यु तिथि दिनांक 13.07.2020 (कुल-40 दिन) की अवधि का झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227,230,248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्म देव मोदी,

सरकार के उप सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

6 नवम्बर, 2023

संख्या-03/नि०सं०-09-14/2014 का० 6230--श्री सुरेन्द्र कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-846/03), अपर समाहर्ता, जामताड़ा को दिनांक 01.04.2022 से 17.06.2022 तक (कुल 78 दिनों का) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी

सरकार के उप सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

10 नवम्बर, 2023

संख्या-1/विविध-824/2012 का०-6384--श्री एल. खियांगते, भा.प्र.से. (झा:1988), महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची को विभागीय पत्रांक-5573 दिनांक-05.10.2023 द्वारा दिनांक-26.09.2023 से 29.09.2023 तक कुल 03 दिनों के आकस्मिक अवकाश की प्रदत्त स्वीकृति तथा दिनांक-23.09.2023 से 29.09.2023 तक के मध्य में राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश को उपभोग करने की प्रदत्त स्वीकृति को रद्द किया जाता है तथा इसके स्थान पर अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक-25.09.2023 से 06.10.2023 तक कुल 12 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं दिनांक 23.09.2023 तथा 24.09.2023 को शनिवारीय/रविवारीय अवकाश का उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

9 नवम्बर, 2023

संख्या-1/विविध-843/2005 खण्ड का०- 6342--श्री राहुल कुमार पुरवार, भा०प्र०से० (झा:1999), सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 25.10.2023 से 27.10.2023 तक कुल 03 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

30 अक्टूबर, 2023

संख्या-1/विविध-817/2020 कां- 6044--श्री उत्कर्ष गुप्ता, भा०प्र०से० (झा:2017), उप विकास आयुक्त, चतरा को विभागीय अधिसूचना सं० 5556, दिनांक-04.10.2023 के द्वारा दिनांक 05.10.2023 से 14.10.2023 तक कुल 10 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश (Ex-India Leave) की स्वीकृति प्रदान की गई है, के क्रम में दिनांक- 15.10.2023 से 22.10.2023 तक कुल 08 दिनों का अतिरिक्त उपार्जित अवकाश (Ex-India Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

27 अक्टूबर, 2023

संख्या-1/विविध-831/2023 कां- 6032--श्री अनिल कुमार, भा०प्र०से० (झा:2011), अपर सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक-13.03.2023 से 12.04.2023 तक कुल 31 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 12.10.2023 को रविवारीय अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

5 जनवरी, 2024

संख्या-13/एच०-104/2023- 105--भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक- 464/पूर्व अनु०-01 /झार०-वि०स०/2023, दिनांक-13.11.2023 द्वारा श्री होमकर अमोल विनुकान्त, भा०पु० से ० (JH:2004), पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार- पुलिस महानिरीक्षक, एस०टी०एफ०, झारखण्ड, राँची) को राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है ।

श्री होमकर अमोल विनुकान्त, भा०पु०से० (JH:2004), पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), झारखण्ड, राँची, (अतिरिक्त प्रभार- पुलिस महानिरीक्षक, एस०टी०एफ०, झारखण्ड, राँची) अपने कार्यों के अतिरिक्त राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी (SPNO) के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे ।

राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी (SPNO) के रूप में श्री विनुकान्त, भा०पु०से० का कार्यकाल 03 (तीन) वर्ष अथवा अगले आदेश, जो भी पहले हो तक के लिए होगा तथा वे भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक-464/L&O/2023/EPS, दिनांक-07.06.2023 द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के आलोक में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

शुद्धि पत्र

21 दिसम्बर, 2023

संख्या-13/जी०-103/2023-6128--विभागीय आदेश संख्या-5833, दिनांक-07.12.2023 में अंकित O.M No.-57/05/2021-P&PW(B) दिनांक-13.03.2023 को O.M No.-57/05/2021-P&PW(B) दिनांक-03.03.2023 तथा परिपत्र संख्या-25011/02/2021-AIS-III (पेंशन), दिनांक-13.07.2023 को परिपत्र संख्या-25011/02/2021-AIS-II (पेंशन), दिनांक-13.07.2023 पढ़ा जाय ।

2. उक्त आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय तथा शेष अंश एवं कंडिकायें यथावत रहेंगे ।

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 दिसम्बर, 2023

संख्या-13/आई०पी०एस०-108/2023-6166--श्री हृदीप पी० जर्नादनन, भा०पु०से०, पुलिस अधीक्षक, पाकुड़ को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-27.12.2023 से 10.01.2024 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. इनके अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, दुमका अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाकुड़ के प्रभार में भी रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

26 दिसम्बर, 2023

1. **संख्या-12/पी०-8001/2020-6168--श्री दीपक कुमार-1**, पुलिस उपाधीक्षक, झा०स०पु०-08, लेस्लीगंज, पलामू को अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. **संख्या-12/पी०-8001/2020-6169--श्री रेमेजियस टोप्पो**, पुलिस उपाधीक्षक, आई०आर०बी०-03, चतरा को अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
3. **संख्या-12/पी०-8001/2020-6170--श्री बिरेन्द्र बाड़ा**, पुलिस उपाधीक्षक, आई०आर०बी०-03, चतरा को अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
4. **संख्या-12/पी०-8001/2020-6171--श्री गन्दरू उराँव**, पुलिस उपाधीक्षक, आई०आर०बी०-04, लातेहार को अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
5. **संख्या-12/पी०-8001/2020-6172--श्री ओम प्रकाश**, पुलिस उपाधीक्षक, आई०आर०बी०-10, पलामू को अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक झा०स०पु०-01, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

1 फ़रवरी, 2024

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-III)श्र०नि०-134--श्री अजीत कुमार पन्ना, अपर श्रमायुक्त, जमशेदपुर को स्थानान्तरित करते हुए निदेशकराज्य श्रम संस्थान राँची के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है ।

श्री पन्ना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अपर श्रमायुक्त जमशेदपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है ।

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-III)श्र०नि०-135--सुश्री दिप्तीलौरी तिर्की, श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक, गुमला को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, लोहरदगा के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है ।

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-III)श्र०नि०-136--श्री अविनाश कृष्ण, श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक, राँची को स्थानान्तरित करते हुए प्रभारी सहायक श्रमायुक्त झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड, राँची के पद पर अपने वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है ।

श्री कृष्ण को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, राँची-1, श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक, राँची, सहायक श्रमायुक्त, राँची एवं सहायक श्रमायुक्त, कृषि श्रमिक, राँची का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है ।

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-III)श्र०नि०-137--श्री वाल्टर कुजूर, श्रम अधीक्षक, राँची-2 को स्थानान्तरित करते हुए कैंटीन मैनेजर, मुख्यालय के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है ।

श्री कुजूर को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, राँची-2 का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है ।

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-III)श्र०नि०-138--श्री पुनीत मिंज श्रम अधीक्षक, गुमला अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक, सिमडेगा को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक, गुमला का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रेज्युस बाढ़,
सरकार के उप सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

31 जनवरी, 2024

संचिका सं-11/बंदी विविध-01/2024-652--उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आलोक में कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-239/ जेल, दिनांक-31.01.2024 द्वारा झारखण्ड के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन को किसी वाद के अन्तर्गत गिरफ्तार किये जाने की संभावना व्यक्त करते हुए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से Jharkhand Civil Services Officer's Institute (IAS Club), दीनदयाल नगर, थाना-लालपुर, राँची को अस्थायी कारा/शिविर कारा के रूप में घोषित करने का अनुरोध किया गया है ।

2 राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रिजन्स एक्ट 1894 (अधिनियम, 9/1894 की धारा-3 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन Jharkhand Civil Services Officer's Institute (IAS Club), दीनदयाल नगर, थाना-लालपुर राँची को अस्थायी कारा/शिविर कारा के रूप में घोषित किया जाता है ।

3. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,

सरकार के उप सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

1 जनवरी, 2024

संख्या-4/नि.सं.-12-22/2020 का.- 01--श्रीमती अमृता अरशी, झा.प्र.से. (षष्ठम बैच), प्रशासी पदाधिकारी, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-907/वि. दिनांक 01.07.2010 तथा 551/वि. दिनांक 01.03.2007 के तहत दिनांक 21.11.2023 से 18.05.2024 तक (कुल 180 दिन) मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

13 सितम्बर, 2023

संख्या-4/ नि.सं-12-222/2014-24034 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री नरेश कुमार मुण्डा, कोटि क्रमांक-457/20 (द्वितीय सीमित बैच, गृह जिला-राँची) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	NARESH KUMAR MUNDA-(JHK/JAS/271)	DC OFFICE SAHEBGANJ	MANDRO CIRCLE SAHEBGANJ Circle Officer	19/08/2013	05/03/2021

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

उप सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/CAC/16

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

आदेश

30 जनवरी, 2024

संख्या-14/विविध-26/2023-503--श्री बिरेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा दायर **JSPCA** वाद संख्या-01/2019 मामले में, दिनांक 18.08.2020 को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार, झारखण्ड द्वारा पारित आदेश के आलोक में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय झारखण्ड राँची से प्राप्त मंतव्य एवं झारखण्ड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार नियमावली-2017 के नियम-11 में वर्णित प्रावधान के तहत मामले की समीक्षा की गई, जिसमें श्री प्रियदर्शी आलोक, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, गढ़वा के विरुद्ध आरोपों को उक्त नियमावली के नियम-11 से अच्छादित नहीं पाया गया ।

सम्यक समीक्षोपरांत राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार, झारखण्ड, द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2020 में तथ्यात्मक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि मानते हुए श्री प्रियदर्शी आलोक तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, गढ़वा सम्प्रति पुलिस अधीक्षक, बोकारों के विरुद्ध उक्त पारित आदेश को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

2. उपर्युक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव ।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MAYA SINGH, ADITYA SINGH (अन्य नाम KUMAR ADITYA) कि माता, शपथ पत्र सं० 125, दिनांक 24 जनवरी, 2024 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र ADITYA SINGH के नाम से जाना जायेगा।

ADITYA SINGH एवं KUMAR ADITYA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - PLOT NO. - 192/A,
CO-OPERATIVE COLONY,
B.S. CITY,
DIST. - BOKARO,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ANAND SUMAN, SHIVANSH JHA (अन्य नाम OM SUMAN) का पिता, शपथ पत्र सं० 14, दिनांक 14 फरवरी, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र SHIVANSH JHA (जन्म तिथि - 25 अगस्त, 2006) के नाम से जाना जायेगा।

SHIVANSH JHA एवं OM SUMAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - NUTANDIH SARAIDHELA,
NEAR DURGA MANDIR,
P.S. - SARAIDHELA,
DIST. - DHANBAD,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RAVI SHARMA, MOVYA RAGVI (अन्य नाम MOVYA) का पिता, शपथ पत्र सं० 767, दिनांक 2 सितम्बर, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री MOVYA RAGVI (जन्म तिथि - 28 जुलाई, 2006) के नाम से जानी जायेगी।

MOVYA RAGVI एवं MOVYA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - 5 B, PRATIKSHA APARTMENT,
PEE PEE COMPOUND,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MEGHA KUMARI अन्य नाम ARADHYA GUPTA पिता PRAMOD KUMAR GUPTA, शपथ पत्र सं० 06, दिनांक 27 दिसम्बर, 2023 के अनुसार MEGHA KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी।

MEGHA KUMARI एवं ARADHYA GUPTA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - NAUDIHA,
P.O. - LOHARSI,
P.S. - PIPRATAND,
DIST. - PALAMU,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, PRADEEP KUMAR SHUKLA, ADITYA SHUKLA (अन्य नाम SONU KUMAR SHUKLA) का पिता, शपथ पत्र सं० 04, दिनांक 7 दिसंबर, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र ADITYA SHUKLA (जन्म तिथि - 1 जनवरी, 2008) के नाम से जाना जायेगा।

ADITYA SHUKLA एवं SONU KUMAR SHUKLA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - WARD NO. - 7,
VILL. - JATPURA,
P.O. - BHOJPUR,
P.S. - NAGAR UNTARI,
DIST. - GARHWA,
PIN - 822121,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, PRADEEP KUMAR SHUKLA, NEHA KUMARI (अन्य नाम SWEETI KUMARI) का पिता, शपथ पत्र सं० 03, दिनांक 7 दिसंबर, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री NEHA KUMARI (जन्म तिथि - 1 जनवरी, 2011) के नाम से जानी जायेगी।

NEHA KUMARI एवं SWEETI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - WARD NO. - 7,
VILL. - JATPURA,
P.O. - BHOJPUR,
P.S. - NAGAR UNTARI,
DIST. - GARHWA,
PIN - 822121,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SHABIRUN NISHA अन्य नाम SHABIRUNNISA पति SUHAIL WAJID, शपथ पत्र सं० 1002, दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 के अनुसार SHABIRUN NISHA के नाम से जानी जाऊँगी।
SHABIRUN NISHA एवं SHABIRUNNISA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - 1/61, RISALDAR NAGAR,
NEAR AIRTEL TOWER,
P.O. - DORANDA,
P.S. - DORANDA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834002
JHARKHAND
